

सहकारिता विभाग, बिहार सरकार

**रैयत एवं गैर - रैयत कृषक द्वारा दिया जाने वाला स्व-घोषणा प्रमाण पत्र
(केवल बिहार राज्य फसल सहायता योजना रबी 2020-21 हेतु मान्य)**

में..... पिता / पति का नाम.....

वार्ड संख्या..... ग्राम.....

पंचायत / नगर पंचायत / नगर परिषद.....

प्रखंड..... जिला..... घोषणा करता / करती हूँ कि
मैंने अपनी कृषि योग्य भूमि जिसका भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र अपलोड किया है साथ ही अन्य अन्य रैयत की कृषि योग्य भूमि पर भी रबी वर्ष
2020-21 में फसल / फसलों की बुआई की है। बुआई अन्तर्गत फसल की रैयत एवं गैर रैयत भूमि का रकवा निम्न हैं :-

क्रम स.	फसल का नाम	बुआई का रकवा (डिसमिल में)	
		रैयत भूमि (डिसमिल में)	गैर - रैयत भूमि (डिसमिल में)
1.	गेहूँ		
2.	मक्का		
3.	चना		
4.	मसूर		
5.	अरहर		
6.	राई-सरसों		
7.	ईख		
8.	प्याज		
9.	आलू		
	बुआई का कुल रकवा		

नोट:-मात्र बुआई की गई फसल के संबंध में ही प्रपत्र में विवरणी अंकित की जाय ।

यह भूमि ग्राम पंचायत / नगर पंचायत / नगर परिषद में अवस्थित हैं।
मैं प्रमाणित करता / करती हूँ कि उपरोक्त घोषणा सही है । साथ ही, यह भी घोषणा करता / करती हूँ की अंकित सूचना गलत पाये जाने की
स्थिति में मेरी पात्रता रद्द कर दी जाएगी ।

दिनांक-

हस्ताक्षर / अंगुठे का निशान

किसान सलाहकार / वार्ड सदस्य की अनुशंसा:-

आवेदक द्वारा दी गई जानकारी को मैं सत्यापित करता / करती हूँ ।

किसान सलाहकार / वार्ड सदस्य का नाम:-		हस्ताक्षर एवं मोहर
पद:-		
मोबाइल नंबर :-		
आधार संख्या:-		